

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated---3/3/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.955 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग village (s) in Bin (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.955 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)


निष्ठा अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारूप-30.1
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

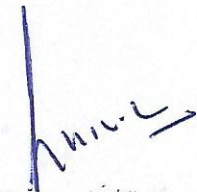
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. राजीव कुमार I.A.S deputy commissioner, पिथौरागढ़ on dated 3/3/15.... at time 3:30 P.M. at पिथौरागढ़ in which application claiming rights in **Van Bhumi** area measuring **0.955** hect for the construction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of पिथौरागढ़ sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: पिथौरागढ़
Dated: 03/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग (0.045 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.630 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.280 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.955 हे० वन भूमि) का प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 03/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~अनुराग आर्या~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 1- | श्री अनुराग आर्या | उपजिलाधिकारी | पिथौरागढ़ | अध्यक्ष |
| 2- | श्री अनुराग आर्या | उप प्रभागीय वनाधिकारी | पिथौरागढ़ | सदस्य |
| 3- | श्री दीप कश्यप | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | पिथौरागढ़ | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री संजय रतन | बी०डी०सी० क्षेत्र | पिथौरागढ़ | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग, परियोजना हेतु 0.955 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~पिथौरागढ़~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~पिथौरागढ़~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.955 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिला अधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)
जनपद पिथौरागढ़

उप जिला अधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)
जनपद पिथौरागढ़

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मझेडा रतवाली
तहसील पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.045 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.630 हे० सिविल सोयम भूमि 0.280 हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.955 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मझेडा रतवाली द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है।

* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मझेडा रतवाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सहो है।

ह०/-
ग्राम सभा
मुहर सहित



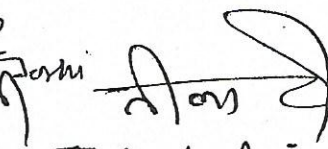
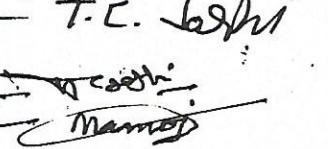
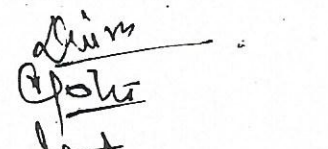
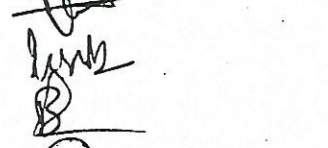
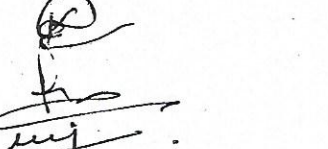
ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत मझेडा
वि.ख.-पिथौरागढ़

ह०/-
ग्राम पंचायत मझेडा
वि.ख.-पिथौरागढ़

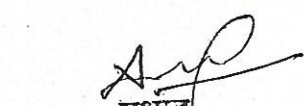
निरापत्ति प्रमाण पत्र

हमारे ग्राम हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग जो कि बॉस ऑवलाघाट मो0मार्ग के कि0मी0 9.00 से चन्द्रो से रतवाली ततरोडा तक है, के निर्माण में प्रभावित होने वाली समस्त भूमि नाप, बेनाप, चन्द्र बगीचे आदि को निशुल्क देने में किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है, व न ही भविष्य में होगी। साथ ही समस्त ग्रामवासी यह भी आश्वस्त करते हैं कि मार्ग निर्माण में अपना सहयोग विभाग को देंगे।

- चन्द्र चन्द्र जोशी - 
- 1- श्री लाम्बा गुहणी 
- 2- मिश्रवर जोशी - T.C. 
- 3- नवीन चन्द्र जोशी 
- 4- मनोज कुमार जोशी 
- 5- राजेन्द्र प्रसाद जोशी 
- 6- मदन चन्द जोशी 
- 7- विमल जोशी 
- 8- सूर्यचन्द्र जोशी 
- 9- शेष जोशी 
- 10- राधा जोशी
- 11- अशोक जोशी
- 12-
- 13-
- 14-
- 15-

या प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
राज्य खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़


सरपंच
ग्राम पंचायत रायपुरी


प्रधान
ग्राम पंचायत रायपुरी
वि.ख.-बिना, पिथौरागढ़

वन पंचापत रतवाली ग्राम पंचापत मंडेडा, जनपद पिथौरा
की बैठक दिनांक 24-11-2013 की बैठक में पारित प्रस्ताव
सं०। - की सत्य प्रतिनिधि :-

प्रस्ताव सं० 1:- ग्राम रतवाली मुख्य मोटर मार्ग से
दूरी पर स्थित होने के कारण यहां के वासियों द्वारा
मुख्य सड़क मोटर मार्ग से गांव को जोड़ने हेतु
(चण्डाक वास) मोटर मार्ग से ग्राम रतवाली तक
सड़क निर्माण किये जाने की मांग जन प्रतिनिधियों
एवं लाकर से समझ समझ पर राखी गयी है।
वर्तमान में जिला योजना के अन्तर्गत 1 किलोमीटर सड़क
का निर्माण इस गांव हेतु प्रस्तावित है। यह सड़क
चण्डाक वास मोटर मार्ग से वन पंचापत रतवाली के
करवीजर तक से होते हुये गांव तक पहुँचने की
के निर्माण से वन पंचापत रतवाली का आर्थिक क्षेत्र
प्रभावित हो रहा है। जनहित को देखते हुये
ग्रामवासियों के वन पंचापत क्षेत्र में सड़क बनाने के
के इस आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्व स्मृति से
पारित किया गया।

सत्य प्रति प्रमाणित

नीला

सत्य

24.11.2013

सत्य प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

राज्यीय सड़क लोअर डिप्टी पिथौरागढ़